सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 161/2017

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

1. श्रीमति गीता पत्नि श्री रामदेव धाकड
2. श्रीमति आशा पत्नि श्योजी जाति धाकड

निवासीगण रघुनाथपुरा तहसील देवली जिला टोंक

------प्रार्थीगण

♠बनाम♠

1. रोडूसिंह पुत्र नन्दासिह
2. कल्याणसिह पुत्र नन्दासिह

जाति राजपूत निवासीगण कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तह.केकडी जिला अजमेर

-------अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 25.6..18

अधिवक्ता द्वारा मय प्रार्थी के एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तका अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्रा कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर के जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता नम्बर 62 में वर्णि आराजी खसरा नम्बर 1242 रकबा 4.12 है. भूमि वादीगण की स्वंय की खातेदारी क आराजीयात है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के आने जोन का एकमात्र पुराना रास जो करीब 20 फुट चौडा है जो खसरा नम्बर 1246 रकबा 1.76 है., खसरा नम्बर 1243 रक 0.61 है. में स्थित है। तथा उक्त आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे अप्रार्थीगण स. 1 व की खातेदारी में दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात में आने जाने हेतु उक्त रास्ता ही एक म रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता वर्तमान खसरा नम्बर 12848 मौजूद है। अप्रार्थीगण स. 1व2 उक्त रास्ते में से आने जाने में बाधा उत्पन्न करते है। उ रास्ता अप्रार्थीगण स. 1 व 2 की आराजीयात में होने से आरये दिन रास्ते को अवरूद्ध कर है। वादग्रस्त आराजीयात में आने जाने,का बैलगाडी,टेक्टर ट्रोली ,कृषि उपज लाने ले जाने एक मात्र कदीमी रास्ता 20 फीट चौडा जो अप्रार्थीगण स. 1 व2 की खातेदारी की आर खसरा नम्बर 1243,1246, में स्थित है, को खुलासा करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्द खसरा नम्बर 1243,1246,1248 मे रास्ता इन्द्राज किया जावें एंव राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस भी रास्ता तरमीम किये जाने हेतु अप्रार्थी स. 3 को आदेश प्रदान करावें । प्रार्थी का प्रा पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया । अप्रार्थीगण को जरिये स तलब किया।

पत्रावली आज दिनांक 25.6.2018 को केम्प कोर्ट कणोज में पेश हुयी। /प्रतिवादीगण उपस्थित। जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा मेड के उपर से रास्ता दिये जाने मे एतराज नही नहीं जताया है। तहसीलदार केकडी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। उक्त प्राप्त शामिल पत्रावली की गयी।

उपखण्ड अधि
केकडी (जिला-अ

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का मय तहसीलदार के मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी की स्वंय की आराजीयात होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रेमाफेसाई केस बनता है तथा प्रार्थी प्रार्थना पत्र का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251ए राज. काश्तकारी अधि. का ग्राम कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर के जमाबन्दी स. 2069--72 के खाता नम्बर 62 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1242 रकबा 4.12 है. भूमि में आने जाने के लिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 1245 व 1246 के मध्य व 1243 व 1246 के मध्य से मेड से 6/1/4 फिट उपरोक्त खसरा नम्बर में दिया जाना उचित बताया है। रास्ते हेतु खातेदारी खसरा नम्बर 1245 मे 150 मी. X 2 = 300 व.मी., खसरानम्बर 1246 मेसे 150 मीटर X 2 = 300 व.मी.,खसरानम्बर 1246 मेसे 60मी. X 2 = 120 व.मी. , खसरा नम्बर 1243 मेंसे 60 मी. X 2 = 120 व.मी. एंव सरकारी खसरा नम्बर 1248 मेसे 36मी. X 2 = 72 व.मी., खसरानम्बर 1245/2256 मेसे 20 X 2 = 40 व.मी., खसरा नम्बर 1246/2258 मेसे 20 X 2 = 40 व.मी., कुल 992 वर्ग मीटर में प्रस्तावित रास्ते की डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि जमा राजकोष कर या अप्रार्थीगण के राशि का भुगतान करने पर तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्न नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि निर्णय की पालना कर वर्तमान पंजियन दस से जो रास्ते मे जाने वाली भूमि कीमत बनती है जमा राजकोष संबधित को भुगतान कर वर्तमान रिकॉर्ड में तरमीम कर पालना से अवगत करावें।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आज दिनांक 25.6.2018 को मजमे आम मे सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार 20..